न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक
पीठासीन अधिकारी अर्पिता सोनी (आरएएस)

दावा संख्या 137/2016

उनवान

1.गोपाल पुत्र कल्याण जाति खटीक निवासी बगडी तह0 पीपलू वादी

बनाम

1.छीतर पुत्र कल्याण जाति खटीक निवासी बगडी तहसील पीपलू जिला टोंक
2.अधिशाषी अभियन्ता जयपुर विधुत वितरण निगम लि0 टोंक ग्रामीण सवाईमाधोपुर चौराहा टोंक
3.तहसीलदार पीपलू।

प्रतिवादी

तारिख दायरा 26.8.2016

निर्णय दिनांक 15.3.2018

अधिवक्ता वादी :-श्री विवेक चौधरी
प्रतिवादी चतुर्भूज गुर्जर

वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि भूमि आराजी खसरा न0 1140/1 रकबा 02 बिस्वा गै0मु0 चाह ,ख0न0 1140/2 रकबा 2 बीधा 06 बिस्वा वाके ग्राम बगडी तहसील पीपलू में वादी की रिकोर्डेड खातेदारी भूमि है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 सगे भाई है। जिनके बीच गत 4-5 वर्षो से अपनी पुश्तैनी भूमि को लेकर विवाद हो रहा है। उक्त वर्णित भूमि के अडवा ही भूमि ख0न0 983 रकबा 5 बीधा 13 बिस्वा भूमि स्थिात है। जिसमें वादी का भी हक हिस्सा निहित है और वादी अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। किन्तु उक्त भूमि प्रतिवादी के नाम है। प्रतिवादी न0 1 अपनी खातेदारी भूमि में कोई चाह का निर्माण नही कर रखा है। बल्कि चाह का निर्माण वादी ने अपने पिता के जीवनकाल में ही अपनी कृषि को सिचिंत करने हेतु करवाया था जिसकी वजह से चाह की खातेदारी वादी के नाम ख0न0 1140/1 के रूप में राजस्व रिकार्ड में अंकित है ,प्रतिवादी संख्या 1 का वादी द्वारा निर्मित चाह से कोई सबंध व सरोकार नही है किन्तु गलत रूप से प्रतिवादी 1 वादी के चाह को हथियाना चाहता है। जिसका उसे कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है। गत वर्ष प्रतिवादी न0 1 ने अपनी भूमि ख0न0 983 की पत्थरगढी करवायी थी जिसके अडवा वादी की भूमि स्थित है। जिससे वादी को परेशान करने की नियत से झुठा दावा पेश किया है। तथा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर रिपोर्ट तैयार करवा ली गई की कुए का निर्माण ख0न0 983 में हो रखा है। जिसकी वजह से प्रतिवादी न0 1 बिना किसी वैधानिक अधिकार के वादी को चाह का उपयोग उपभोग करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। तथा प्रतिवादी न0 2 बिजली कनेक्शन करने का प्रयास कर रहे है। अत प्रतिवादीगण को पावन्द नही किया जायेगा तो वादी को अपार हानि होगी इस कारण प्रतिवादीगण को पावन्द फरमाया जावे की वादी को उसके द्वारा निर्मित चाह का उपयोग -उपभोग करने मजाहमत नही करे एवं वादी चाह पर किसी प्रकार का बिजली कनेक्शन नही लगावे वादी को कब्जे से बेदखल नही करे । दावा डिक्री किया जवे ।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी की ओर से जरिये अधिवक्ता ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि वादी द्वारा समस्त चरण गलत है स्वीकार नही है प्रतिवादी न0 1 ने उक्त आराजी खरीद कर अपनी क्रय शुद्वा भूमि में चाह का निर्माण करवाया है लेकिन वादी ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके चाह को अपनी भूमि ख0न0 1140 के नक्शा शीट में अंकित करवा लिया है। जबकी चाह मौके पर ख0न0 983 में दर्ज है। तथा गलत नक्शा शीट के आधार पर बिजली कनेक्शन भी करवाने हेतु स्वीकृत करवा लिया है जबकि वास्तविक आधार पर मौके पर कुआ प्रतिवादी न0 1 की भूमि में अंकित है दावा झुठा एवं बनावटी बनाकर पेश किया अतः वादी का वाद खारिज फरमाया जावे ।

प्रकरण में दिनांक 20.4.2017 को तनकीयात कायम की गई। वादी की ओर से गोपाल पुत्र कल्याण,लडडूलाल पुत्र सुखदेव,रामलाल पुत्र जगन्नाथ ,पूरण पुत्र कल्याण के साक्ष्यस्वरूप शपथ पत्र

-अर्पिता

पेश किये गये। तथा प्रतिवादी की और से साक्ष्यस्वरूप छीतर पुत्र कल्याण के शपथ पत्र पेश किये गये।

हमने बहस प्रार्थी अधिवक्ता व प्रतिवादी की सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने वाद में चाही गई अभियाचना को दौहराते हुए प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जाने एवं वादी की आराजी भूमि में बिजली का कनेक्शन नही लगावे व सिचित करने उपयोग उपभोग में दखल नही किया जाने का निवेदन किया है। तथा अधिवक्ता प्रतिवादी ने जवाब के तथ्यो को दौहराते हुए वादी का भूमि पर कोई लेना देना नही होना बताया तथा चाह को अपनी खातेदारी 983 में दर्ज होना बताया है एवं नक्शाशीट में कुए की तीमीम गलत दर्ज करना बताया है । अतः वादी का वाद खारिज करने का निवेदन किया है।

वादी द्वारा प्रस्तुत दावे, प्रतिवादीगण प्रस्तुत जवाब दावे, साक्ष्यस्वरूप प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया गया –

तनकी न0 1:– आया आराजी ख0न0 1140/1 रकबा 02 बिस्वा गै0मु0चाह व 1140/2 कुल किता 2 रकबा 2 बीधा 08 बिस्वा ग्राम बगडी में वादी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त तनकी को सिद्व करने का भार वादी का है।

इस तनकी को साबित करने हेतु वादी ने शपथ पत्र 1 से लेकर 4 जमाबन्दी एवं नक्शा शीट की फोटो प्रति पेश की उनका अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी ,द्वारा चाह को अपनी ख0न0 1140/1 में अंकित होना बताया जबकी प्रतिवादी न0 1 ने भूमि ख0न0 983 में अंकित होना बताया सिजसे न्यायालय में प्रस्तुत प्रतिवादी द्वारा वादी संख्या 214/15 में रिपोर्ट एवं सम्बन्धित भू0अ0नि0 से मौखिक जानकारी के मुताबिक उक्त चाह वर्तमान में ख0न0 983 में ही दर्ज है। ख0न0 1140/1 में अंकित नही होना बताया है। इससे स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजीयात वादी के खाते में दर्ज होकर शीट में चाह को गलत तरमीम हुई है । इस विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्व में निर्णित की जाती है।

तनकी न0 2:– आया विवादित आराजी के अडवा ख0न0 983 रकबा 5.13 बीधा भूमि है। जिसमें वादी का हक हिस्सा निहत है लेकिन भूमि प्रतिवादी न0 1 के नाम होने इसकी आड में वादी को परेशान करने व भूमि से बेदखल करने पर अमादा है इस कारण उन्हे पाबन्द फरमाया जावे । उक्त तनकी को सिद्व करने का भार भी वादी पर है ,वादी ने ऐसा कोई दस्तावेजात एवं साक्ष्य में साबित नही किया है कि वादी का ख0न0 983 में हक हिस्सा है ,अतः यह तनकी भी वादी के विरूद्व में निर्णित की जाती है।

तनकी न0 3:–आया विवादित भूमि को प्रतिवादी न0 1 ने क्रय कर कब्जा काश्त चले आ रहे है तथा उक्त चाह मौके पर ख0न0 983 में दर्ज है किन्तु ख0न0 1140 उक्त भूमि के अडवा होने से नक्शा शीट में गलत अंकन करवा लिया है।

इस तनकी को साबित करने का भार भी जिम्मे प्रतिवादी का है। जो कि वादी ने वाद के चरण न0 5 में प्रकरण में ख0न0 1140/1 की भूमि के अडवा ही भूमि ख0न0 983 रकबा 5 बीधा 13 बिस्वा भूमि स्थित होना बताया है। जिसमें वादी का भी हक हिस्सा निहित है और वादी अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। किन्तु उक्त भूमि प्रतिवादी के नाम है। वादी ने कोई दस्तावेज पेश नही किये है। प्रतिवादी न0 1 अपनी खातेदारी भूमि में चाह का निर्माण कर रखा है। तथा प्रतिवादी की ओर से जवाब में सपष्ट जाहिर किया है कि वादी का उक्त भूमि पर कोई लेना देना नही होने से यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 4:–आया विवादित भूमि में वादी ने गलत तरमीम कराने के कारण वाद प्रतिवादीवादी को पाबन्द नही किया जा सकता है।

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादी का है प्रतिवादी ने उक्त विवादित भूमि से सबंधी एक वाद और पेश किया जाना जाहिर किया है जिसमें रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार चाह का निर्माण ख0न0 983 में होना बताया है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

आदेश

तनकी संख्या 1 व 2 वादी के विरूद्व में निर्णित होने से आदेश दिये जाते है की वादी का वाद साबित नही होने से दावा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.3.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

अर्पिता सोनी
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू